

[प्रतिवेद्य]

[2021] 8 एस.सी.आर. 422

कृष्ण गोपाल तिवारी और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4744/2021)

13 अगस्त, 2021

[हेमंत गुप्ता और ए.एस. बोपन्ना, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961: धारा 10(10)(ii)-छूट-अपीलकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी हैं - भारत सरकार के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा दिनांक 01.01.2007 से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई थी - अपीलकर्तागण को कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ऐसी ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था - हालाँकि, बाद में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे दिनांक 17.05.2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई - संशोधन अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.05.2010 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उक्त तिथि को संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त किया गया - अपीलकर्ता का मामला यह था कि जब अपीलकर्तागण को संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था, तब स्रोत पर कर की कटौती की गई थी - इस प्रकार अपीलकर्तागण ने दिनांक 24.05.2010 को लागू होने की तिथि को चुनौती दी, लेकिन कहा कि इसे दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी बनाया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप वे ग्रेच्युटी राशि पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे- अभिनिर्धारित: ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) नियोक्ता के साथ किसी भी अवार्ड या संविदा के तहत ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के अधिकार की रक्षा करती है - दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर अपीलकर्तागण को भुगतान की गई ग्रेच्युटी उक्त उपधारा के अंतर्गत आएगी - हालाँकि, आयकर अधिनियम से छूट प्राप्त ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि है, जो ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2)

और (3) के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक नहीं है - ग्रेच्युटी अधिनियम में दिनांक 24.05.2010 से ग्रेच्युटी की राशि के रूप में केवल 10 लाख रुपये की परिकल्पना की गई थी- ऐसी ग्रेच्युटी केवल एक बार देय राशि है - इस प्रकार, कट-ऑफ तिथि को अवैध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एकमुश्त भुगतान है - अतः, ग्रेच्युटी अधिनियम में इस तरह के संशोधन को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है - कार्यालय ज्ञापन के तहत अपीलकर्तागण को दिया गया लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(ii) की विशिष्ट भाषा के मद्देनजर छूट का हकदार नहीं है - ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2010 - धारा 1(2) - ग्रेच्युटी भुगतान, 1972- धारा 4.

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका द्वारा निर्धारित प्रारंभ की तिथि को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उच्च ग्रेच्युटी का लाभ संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद ही कर्मचारियों को एक बार उपलब्ध होता है। कार्यालय ज्ञापन के तहत अपीलकर्तागण को दिया गया लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(ii) की विशिष्ट भाषा के मद्देनजर छूट का हकदार नहीं है। [पैरा 17][430-एफ-एच]

आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1: [2014] 12 एससीआर 1037; डीएस नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305: [1983] 2 एससीआर 165; राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (1986) 3 एससीसी 501: [1986] 3 एससीआर 383; भारत संघ बनाम आल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य (1988) 2 एससीसी 580: [1988] 2 एससीआर 697; श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स, न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स कॉ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (1976) 3 एससीसी 37: [1976] 3 एससीआर 775; ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा और अन्य (1991) 1 पूरक एससीसी 81: [1990] 2 अनुपूरक एससीआर 480; हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

रिटायर्ड एम्प्लाइज यूनियन (2021) 4 एससीसी 502- संदर्भित किया गया ।

संदर्भित निर्णयज विधि

[2014] 12 एससीआर 1037	संदर्भित किया गया	पैरा 7
[1983] 2 एससीआर 165	संदर्भित किया गया	पैरा 8
[1986] 3 एससीआर 383	संदर्भित किया गया	पैरा 10
[1988] 2 एससीआर 697	संदर्भित किया गया	पैरा 11
[1976] 3 एससीआर 775	संदर्भित किया गया	पैरा 14
[1990] 2 अनुपूरक एससीआर 480	संदर्भित किया गया	पैरा 15
(2021) 4 एससीसी 502	संदर्भित किया गया	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4744/2021।

रिट याचिका (एस) संख्या 1729/2016 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 27.07.2016 के निर्णय एवं आदेश से।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कुमार विसेन, भंवर जादौन, सुश्री आदिरा ए नायर अधिवक्ता वास्ते अपीलकर्तागण ।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, एम.पी. गुप्ता, भक्ति वर्धन सिंह, मोहन प्रसाद गुप्ता, पी.एस. सुधीर, सुश्री प्रियंका दास, अमरीश कुमार, वैभव अग्निहोत्री, सुश्री सुप्रिया जुनेजा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण ।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

हेमंत गुप्ता, जे.

1. वर्तमान अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.7. जिसके तहत दिनांक ,को पारित आदेश के सन्दर्भ में है 2016 1.1. 2010 ,अधिनियम (संशोधन) से उपदान संदाय 2007(जिसे इसके पश्चात संक्षेप में संशोधन अधिनियम से सन्दर्भित किया जायेगा की (प्रयोज्यता की घोषणा करने के अपीलकर्ताओं के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

2. अपीलकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी हैं। भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड जैसे केंद्रीय क्षेत्र के उद्यमों ,जहां अपीलकर्ता कार्यरत थे , संघीकृत पर्यवेक्षकों की उपदान बढ़ाने को मंजूरी -के अधिकारियों और गैर 26 दे दी। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक.11.के अनुसार 2008 1 दिनांक.1.लाख रुपये तक बढ़ा दी गई 10 से उपदान की सीमा 2007 थी ।

3. अपीलकर्ताओं को ऐसे कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में ऐसी उपदान का भुगतान किया गया था। हालाँकि 15 केंद्रीय अधिनियम संख्या ,बाद में , जिसे ,द्वारा उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन किया गया 2010 वर्ष 17 दिनांक.5.को माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संशोधन 2010 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

“1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय (संशोधन)

1(,अधिनियम2010 है ।

)2(यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकारआधिकारिक राजपत्र ,

नियत कर सकती है। ,में अधिसूचना द्वारा

2. उपदान संदाय अधिनियम ,1972 की धारा) की उपधारा 43 ,में (,के स्थान पर "तीन लाख और पचास हजार रुपये" शब्द"दस लाख रुपयेशब्द प्रतिस्थापित जायेगा। "
4. संशोधन अधिनियम की धारा) धारा-की उप 12भारत , के संदर्भ में (24 सरकार द्वारा दिनांक.5.को एक अधिसूचना जारी की गई थी 2010 जिसमें उक्त तिथि को उस तिथि के रूप में नियुक्त किया गया था जिस दिन संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था।
5. अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि जब संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अपीलकर्ताओं को उपदान का भुगतान किया गया था तो स्रोत पर कर कटौती की गयी थी । अपीलकर्ताओं ने इस प्रकार प्रारंभ की दिनांक 24.5. लेकिन कहा है कि इसे दिनांक ,को चुनौती दी है 2010 1.1.से प्रभावी बनाया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता 2007 उपदान राशि पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. केंद्रीय अधिनियम संख्या 12/द्वारा संशोधन से पहले म 2018ौजूद उपदान अधिनियम से सन्दर्भित 'उपदान अधिनियम' ,जिसे संक्षेप में) ,और आयकर अधिनियम (किया जायेगा1961 के कुछ प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक होगा:

. उपदान संदाय अधिनियम "1972

4. उपदान का संदाय —(1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान उपदान संदेय होगा :

xx

xx

xx

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता है

xx

xx

xx

)3 ' कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम ([दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

xx

xx

xx

)5इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार (या संविदा के अधीन उपदान के और अच्छे निबन्धन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

आयकर अधिनियम ,1961

10. आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है। किसी भी व्यक्ति की - निम्नलिखित में से किसी भी ,पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में खंड के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा -

xx

10(ii) उपदान संदाय अधिनियम ,1972)1972 का 39) के तहत प्राप्त कोई भी उपदानकी 4 जो उस अधिनियम की धारा ,उस सीमा तक ,) उपधारा2) और (3 के प्रावधानों के अनुसार गणना की (गई राशि से अधिक न हो।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपदान अधिनियम में संशोधन उदारीकृत लाभ प्रदान करने के लिए है। अतः, यह पूर्वव्यापी होगा। आयकर आयुक्त -(केंद्रीय)नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप ,) प्राइवेट लिमिटेड2015 (1 एससीसी 1 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। उपरोक्त मामला आयकर अधिनियम की धारा 113 जिसमें कहा गया है कि उक्त धारा के तहत , में प्रावधान जोड़ने का है लगने वाले कर में अधिभार की वृद्धि की जाएगी और यह पिछले वर्ष से जिस ,संबंधित मूल्यांकन वर्ष में लागू होगामें उक्त अधिनियम की धारा तहत खोज शुरू की गई है। यह उक्त प्रावधान था जो इस न्यायालय 132 के समक्ष विचार के लिए आया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय :लिया

“31कुछ भार या दायित्व लगाने वाले प्रावधान के ,ऐसे मामलों में . विपरीत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्वव्यापीता जुड़ी हुई है , ,जहां उपधारणा संभावना से जुड़ा होता है। मौजूदा मामले में में जोड़ा गया प्रावधान निर्धारिती के लिए 113 अधिनियम की धारा यह एक ऐसा प्रावधान है जो ,फायदेमंद नहीं है। इसके विपरीत

:निर्धारित के लिए कठिन है। अतः, इस तरह के मामले में हमें ,
पूर्वव्यापी कार्रवाई के विरुद्ध उपधारणा के सामान्य नियम के साथ
पूर्वव्यापी संचालन के विरुद्ध नियम ,आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार
कानून का एक मौलिक नियम है कि किसी भी कानून को पूर्वव्यापी
संचालन नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण अधिनियम
की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है या आवश्यक ,
और विशिष्ट निहितार्थ से उत्पन्न नहीं होता है। हठधर्मिता से तैयार
और ,किया गया यह नियम एक उपधारणा से अधिक कुछ नहीं है
इस प्रकार इसे भारी कारकों द्वारा विस्थापित किया जा सकता है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने डीएस नकारा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)1983 (1 एससीसी 305 मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी हवाला दिया और तर्क किया है कि कटऑफ - 24 तिथि.5.पहले जिन्होंने ,को कर्मचारियों की दो श्रेणियां बनाई हैं 2010 उक्त तिथि से पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और दूसरे जो दिनांक 24.5.को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रकृति में ऐसा 2010 वर्गीकरण अवैध और मनमाना है।
9. दूसरी ओर यूनियन के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क , दिया कि डीएस नकारा का मामला पेंशनभोगियों से संबंधित है जिन्हें हर , जबकि उपदान एकमुश्त भुगतान है। इस ,महीने आवर्ती लाभ मिलता है ऑफ तिथि के बाद -न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कट ऑफ तिथि निर्धारित -सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का लाभ देने के लिए कट ऑफ तिथि से प-करना और कटहले सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन से वंचित

करना मनमाना है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि उपदान का लाभ पेंशन के भुगतान के आवर्ती अधिकार से अलग है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“38फिर निर्दिष्ट तिथि से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और उस . तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के बीच पेंशनभोगियों को लंबवत रूप से विभाजित करने के लिए निर्दिष्ट तिथि निर्धारित करने का क्या उद्देश्य हैइससे आगे प्रश्न उठता है कि पेंशन ? पेंशन योजना के उदारीकरण ?योजना को उदार क्यों बनाया गया ?की क्या आवश्यकता पड़ी

xx

xx

xx

42. यदि यह निर्विवाद प्रतीत होता हैजैसा कि हमारे लिए होता है , तो क्या ,कि पेंशन लाभ के उद्देश्य से पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं इसके ऊपर की ओर संशोधन एक सजातीय वर्ग को मनमाने ढंग से संशोधन के उद्देश्य से असंबंधित पात्रता मानदंड तय करके विभाजित करने की अनुमति देगाऔर क्या ऐसा वर्गीकरण किसी , जैसा कि ,वर्गीकरण ?तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होगा किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए ,सर्वविदित है और तर्कसंगत सिद्धांत का उन उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए जिन्हें हासिल करना है। हमने पेंशन के भुगतान के अंतर्निहित उद्देश्यों को निर्धारित किया है। यदि राज्य ने पेंशन योजना को उदार बनाना आवश्यक समझा हैतो हमें इसके पीछे कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं ,

मिलता है कि ये लाभ केवल उन लोगों को दिया जाए जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं साथ ही उन लोगों को भी लाभ देने से इनकार कर दिया गया है जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त ...हुए थे

10. उपरोक्त निर्णय राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश)1986 (3 एससीसी 501 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है जहाँ सेवानिवृत्ति की एक निर्दिष्ट तिथि से उपदान का भुगतान असंवैधानिक नहीं माना गया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“2जिसका भुगतान ,उपदान के संबंध में भी यही मामला है याचिकाकर्ताओं को तत्कालीन प्रचलित आधार पर पहले ही किया जैसा कि यह उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों के समय ,जा चुका है प्राप्त हुआ था। सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनके द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर राशि सेवानिवृत्ति की तिथि पर क्रिस्टलीकृत हो गई। और उन्हें उस आधार पर पहले ही भुगतान कर दिया गया था। लेनदेन - पूरा हो गया और बंद हो गया। भविष्य में बाद में विकसित किए गए फॉर्मूले के ऊपर या नीचे की ओर संशोधन के संदर्भ में ऊपर या नीचे की ओर संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि , इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से प्रदान नहीं नीचे की ओर संशोधन कानूनी रूप से स्वीकार्य भी) किया जाता है (नहीं हो सकता है...।”

11. इसी तरह का दृष्टिकोण भारत संघ बनाम अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य]1988 (2 एससीसी 580 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में लिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि , समय पर देय होती -जब तक पेंशनभोगी जीवित है तब तक पेंशन समय है जबकि उपदान का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति पर केवल एक बार किया जाता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“8पूर्वगामी से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने सेवानिवृत्ति पर . देय पेंशन और सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के बीच अंतर किया है। समय पर तब तक देय होती है जब तक -जबकि पेंशन समय उपदान का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति ,पेंशनभोगी जीवित है पर केवल एक बार किया जाता है। इस न्यायालय का कोई अन्य निर्णय जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकारी पेंशनर्स एसोसिएशन मामला ,)]1986 (3 एस .सी.सी.501 :1986 एस (.एस.एंड.एल) .सी.सी. 676)] अभ्यंकर मामले में निर्णय .एल.और एन [1984 (3 एस .सी.सी.125 :1984 एस (.एस.एंड.एल) .सी.सी.486में ठक्कर [,और रेजेहमारे ,के निर्णय के विपरीत दृष्टिकोण रखता हो .जे. संज्ञान में नहीं लाया गया है। इन दोनों मामलों में किये गये जहां तक डीएस नाकारा ,परिशीलन से हमारे लिए बाध्यकारी हैं)]1983 (1 एससीसी 305: (एलएंडएस) एससीसी 1983145 :)1983 (2 एससीआर 165: 263 यूपीएससी 1983] मामले में नियम की प्रयोज्यता सेवानिवृत्ति पर उपदान का भुगतान करने के लिए सरकार की देयता के लिए है। हम उन निर्णयों में व्यक्त विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। यह भी नहीं दर्शाया गया है

कि संबंधित सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग दिनांक 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे 1973 न्यायाधिकरण यह मानने ,अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे। इसलिए 33 में त्रुटि कर रहा था कि सरकारी अधिसूचना संख्या/12/73-एआईएससी)ii24 दिनांक (-1- 1975के अनुसार उपदान अखिल भारतीय सेवाओं के उन सभी सदस्यों को देय थी जो दिनांक 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। 1973

12. उपदान अधिनियम की धारा) की उपधारा 45नियोक्ता के साथ किसी (भी पुरस्कार या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने के कर्मचारी केअधिकार की रक्षा करती है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.के आधार पर अपीलकर्ताओं को भुगतान की गई उपदान 2008 उक्त उपधारा में आएगी।
13. हालांकिआयकर अधिनियम से छूट प्राप्त उपदान अधिनियम के तहत , की उपधारा 4 जो उपदान अधिनियम की धारा ,प्राप्त उपदान की राशि है)2) और (3के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक (24 नहीं है। उपदान अधिनियम में दिनांक.5.से उपदान की राशि के 2010 रूप में दस लख रुपये की परिकल्पना की गई थीऐसी उपदान केवल , ऑफ तिथि को अवैध नहीं कहा जा -कट ,एक बार देय राशि है। इस प्रकार उपदान अधिनियम में , क्योंकि यह एकमुश्त भुगतान है। अत ,सकता है :इस तरह के संशोधन को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। अत, कानून

के प्रावधानों को पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है।

14. इस न्यायालय के श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी .
8 एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश(1976) 37 एससीसी 3 के रूप में दर्ज निर्णय में चावल की आपूर्ति की नई दर दिनांक 23.3. 1964 को प्रभावी की गई थी। प्रश्न यह उठा कि क्या पहले आपूर्ति किए गए चावल को दिनांक 23.3.की बाद की अधिसूचना में निहित 1964 लाभकारी प्रावधान का लाभ मिलेगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित न कि संशोधन ,किया कि बिक्री की तिथि पर प्रचलित मूल्य ही देय होगा द्वारा शुरू की गई उच्च कीमत देय होगा।यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

"6 ,आदेश (तीसरा संशोधन) मूल्य नियंत्रण (आंध्र प्रदेश) चावल . 1964 के प्रभावी होने से पहले अपीलकर्ताओं द्वारा तात्कालिक मामलों में उपरोक्त बिक्री की गयी और माल में संपत्ति आंध्र प्रदेश , सरकार को आपूर्ति की गई तारीखोंको हस्तांतरित हो गई थी , अपीलकर्ताओं को केवल बिक्री प्रभावित होने की तारीखों पर प्राप्त न कि बढी हुई कीमत ,नियंत्रित मूल्य पर भुगतान किया जाना था पर जो बाद में परिचालन में आया।

15. एक और निर्णय के अनुसार जो कि ,ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा और अन्य 1991 Supp .)।इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था ,में रिपोर्ट है 81 एससीसी (कि चूँकि कार्यपालिका को अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि का चयन

इस प्रकार की प्रबंधन सौज ,करने की अधिकार हैन्य को अत्यधिक प्रबंधन की स्थिति के रूप में कहा नहीं जा सकता। न्यायालय ने इसे निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :

“29भले ही इस धारा को शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में देखा . यह कानून के पीछे की नीति को पूर्ण प्रभाव देने के लिए ,जाए सरकार को प्रदत्त शक्ति है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कार्यपालिका को विधायिका के चिंतन में विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को लागू करने के लिए समयस्थान और वन उपज का चयन करने का अधिकार , दिया गया है। सत्ता के ऐसे वैधानिक अनुदान में कोई अत्यधिक] प्रत्यायोजन नहीं है।देखें ग्वालियर रेयॉन सिल्क एमएफजी)] कंपनी लिमिटेड बनाम सीएसटी (डब्ल्यूवीजी)1974 एससीसी 4 (98: (टैक्स) एससीसी 1974226) :1974 (2 एससीआर 879] ;)] हरिशंकर बागला बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी1955 (1 एससीआर 380, 388: एआईआर 465 एससी 1954]]”

16. हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रिटायर्ड एम्प्लाइज यूनियन10,)10)2021 (4 एससीसी 502) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक हालिया निर्णय में मृत्यु-सह-यह ,सेवानिवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई मात्रा के भुगतान के मामले में ऑफ तिथि को मनमाना नहीं कहा जा -अभिनिर्धारित किया गया कि कट जिसे वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते ,सकता है हुए नियत किया गया

था। इस न्यायालय ने निम्ननुसार अभिनिर्धारित किया :

“18ऑफ -जहां इस न्यायालय द्वारा कट ,हालांकि ऐसे कई मामले हैं . हम मामले ,तिथि के निर्धारण की वैधता पर विचार किया गया है के तथ्यों के लिए प्रासंगिक न्याय दृष्टांत को सीमित और संदर्भित करते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम अमर नाथ गोयल स्टेट ऑफ] ,पंजाब बनाम अमर नाथ गोयल(2005) 754 एससीसी 6: 2005 (एलएंडएस) एससीसी910सेवानिवृत्तिउपदान की बढ़ी -सह-मृत्यु ,में [ऑफ तिथि -हुई मात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित कट इस ,की वैधता की जांच करते हुएन्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सरकार द्वारा दलील दी गई वित्तीय बाधाऑफ -कट , तिथि के निर्धारण के लिए एक वैध आधार थी और ऐसा निर्धारण का उल्लंघन करने 14 तर्कहीन या संविधान के अनुच्छेद ,मनमाना ।.....वाला नहीं था

17. उपर्युक्त के मद्देनजर हम पाते हैं कि ,संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में कार्यपालिका द्वारा निर्धारित प्रारंभ की तिथि को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता हैक्योंकि उच्च उपदान का लाभ संशोधन , अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद ही कर्मचारियों को एक मुस्त उपलब्ध होता है। कार्यालय ज्ञापन के तहत अपीलकर्ताओं को दिया गया लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(ii) की विशिष्ट भाषा के मद्देनजर छूट का हकदार नहीं है।
18. परिणामस्वरूपहम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं ,

पाते है। अपील खारिज की जाती है।

..... न्यायमूर्ति

हेमंत)गुप्ता (

..... न्यायमूर्ति

(एसएस बोपन्ना)

नई दिल्ली ,

दिनांक .2021 अगस्त 13

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।